तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/6074/2006/जालौर** **राजस्थान सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानीसिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री तेजेन्द्रसिंह राठौड़, उप राजकीय अधिवक्ता।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित

—

आदेश

दिनांकः— 02.01.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जालौर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 14.07.1998 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार, जालोर ने जिला कलक्टर, जालोर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा जालोर स्थित खसरा नंबर 548 रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा वक्त सेटलमेंट से मिसल बंदोबस्त में डोली बनाम मंदिर श्री बागेश्वरजी बएतमाम मुता हंसराज पुत्र चंदनमल कौम महाजन के नाम दर्ज है । सेटलमेंट के वक्त भी यह आराजी डोली की थी, परन्तु सेटलमेंट के समय खाना संख्या 5 में जवाना, देवीडा पुत्र भूरा कौम कलबी दर्ज कर दिया व इनकी मृत्यु उपरांत इनके जायंदा पुत्र ओखा, वागा, सविया, जूठीया पि0 जवाना व तोलिया, रघुनाथा, सूरता पि0 देवीडा को बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया जो गलत है । अतः वर्तमान में जवाबना व देवीडा के वारिसान के नाम को निरस्त कर भूमि डोली बनाम मंदिर श्री बागेश्वरजी महादेव के नाम दर्ज कराई जावे । प्रकरण प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर, जालोर ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.1998 के द्वारा प्रकरण निदेशक (भू0अ0) राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित करने के आदेश प्रदान किये । जिला कलेक्टर के उक्त आदेश को निदेशक लैण्ड रिकार्ड, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 27.06.2002 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/6074/2006/जालौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायाल जोधपुर में रिट पीटिशन संख्या 4070/2002 प्रस्तुत की गई जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.11.2003 के द्वारा रेफरेंस प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये जिसके क्रम में निर्देशक, भू0अभिलेखक, राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2006 के द्वारा रेफरेंस स्वीकार कर सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल की बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये है । जिसके क्रम यह रेफरेंस प्रकरण मण्डल में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ है । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अप्रार्थीगण को मण्डल द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 545, 549, 562, 576, 580, 593, 602, 616 के द्वारा भिजवाये गये । बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि मौजा जालोर में स्थित आराजी खसरा नंबर 548 व 549 रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा वक्त सेटलमेंट से मिसल बंदोबस्त में डोली मंदिर श्री बागेश्वरजी बएतमाम मुता हंसराज पुत्र चंदनमल कौम महाजन के नाम दर्ज है । सेटलमेंट के वक्त भी यह आराजी डोली की थी, परन्तु सेटलमेंट के समय खाना संख्या 5 में जवाना, देवीड़ा पुत्र भूरा कौम कलबी दर्ज कर दिया व इनकी मृत्यु के पश्चात् इनके जायंदा पुत्र ओखा, वागा, सविया, जूठीया पिसरान जवाना व तोलिया, रघुनाथा, सूरता पि0रान देवीडा को बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया जो गलत है । अतः वर्तमान में जवाना व देवीडा के वारिसान के नाम को निरस्त कर भूमि डोली बनाम मंदिर श्री बागेश्वरजी महादेव के नाम दर्ज कराई जावे । हमने योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा जालोर के खसरा नंबर 5489 व 549 रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा संवत् 2015 से पूर्व डोली बनाम मंदिर श्री बागेश्वरजी के नाम दर्ज थी लेकिन संवत 2015 से 2020 तक के सेटलमेंट में इस भूमि के खातेदार जवाना व देवीडा के नाम भू–प्रबंध विभाग द्वारा दर्ज कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/6074/2006/जालौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया गया है, जो अवैध व बिना किसी आदेश के किये गये है । वर्तमान में इस भूमि के खसरा नंबर 4235 से 4240 कुल रकबा 8.62 है0 जमाबंदी संवत् 2051 से 2070 के खाता संख्या 4 में ओखा, वागा, सवीया, जूठीया पिसरान जवाना, तोलिया, रूघनाथा, सूरता पि0रान देवीडा कौम कलबी साकिन सामतिपुरा खातेदार दर्ज है । चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि बाबत् किसी भी व्यक्ति को खोतेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी डोली बनाम मंदिर श्री बागेश्वरजी की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी का इंद्राज निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः डोली बनाम मंदिर श्री बागेश्वरजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है । फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर वाके मौजा जालोर के पुराने खसरा नंबर 548 व 549 रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 4235 से 4240 कुल रकबा 8.62 है0 बने है, को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई, उक्त खातेदारी इंद्राज को निरस्त किया जाता है तथा मौजा जालोर के वर्तमान जमाबंदी संवत् 2051 से 2070 के खाता संख्या 4 में अंकित वर्तमान खसरा नंबर 4235 से 4240 कुल रकबा 8.621 है0 भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर पुनः डोली बनाम मंदिर श्री बागेश्वरजी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/6074/2006/जालौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानीसिंह पालावत)** **सदस्य**	